खसरा नबंर 541 शासकीय नजूल भूमि से अवैध कब्जा हटवाया गया

भिलाईनगर। अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम जुनवानी पटवारी हल्का नबंर 43 खसरा नबंर 541 में अनिल अग्रवाल द्वारा लगभग 8000 वर्गफीट में प्रिकास्ट लगाकर घेरा किया जा रहा है। जबकि ग्राम जुनवानी राजस्व अभिलेख में अनिल अग्रवाल पिता घनपत अग्रवाल के नाम पर खसरा नबंर 541ध्81 रकबा 0.04 दर्ज है। पूर्व में उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण गठित टीम द्वारा किया गया था। जिस पर बृजेश शर्मा द्वारा मुरूम डालकर एवं प्रिकास्ट घेरा करके अतिक्रमण किया गया था। जिसे संयुक्त रूप से नगर निगम भिलाई द्वारा पूर्व में रिक्त करवाया गया था। उक्त शासकीय भूमि भिलाई सीमा के अंदर होने के नाते हल्का पटवारी प्रतिवेदन में पंचनामा छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप आज कार्यवाही की गई। अतिक्रमणकर्ता द्वारा बिना पूर्व सूचना के दुसरे खसरे में चालाकी पूर्वक अपना जमीन मानकर जानबुझ कर अतिक्रमण कर रहा था। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर आज सुबह नगर निगम भिलाई के जोन आयुक्त अजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में ईएसआईसी हास्पिटल के सामने पुलिस बल के सहयोग से अवैध कब्जा को रिक्त कराया गया। ततपश्चात उक्त स्थल पर पंचनामा तैयार कर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही के दौरान जोन प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी प्रशन्न तिवारी, राजस्व निरीक्षक नजूल मीनू सिंह, सुपरवाईजर ईमान सिंह कनौजे, निरंजन असाटी, तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता, सहायक राजस्व निरीक्षक शशांक सिंह, मंगल जांगड़े, राजेन सिंह, विष्णु सोनी, गौरकरण कुर्रे, खेमराज आदि उपस्थित रहे।